20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(५१)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

निग – 3487 – I 16

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, एड. द्वारा दिनांक 04/10/16 को प्रस्तुत। 4-10-16

फूलवती वैवा बृजलाल चौरसिया, निवासी बारीगढ, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

रूहेलप्रताप पुत्र स्व0 सुकनू चौरसिया, निवासी बारीगढ, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक, मण्डल जुझारनगर, जिला छतरपुर द्वारा नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/2015–16 में पारित दिनांक 13.09.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

164 / 04.10.16

यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम जुझारनगर में स्थित भूमि खसरा सर्वे नं. 1909 रकवा 0.341 है0 का सीमांकन किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर, आवेदिका की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उपरोक्त भूमि उनके स्वर्गीय पति बृजलाल चौरसिया के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है, जिस पर आवेदिका का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। अनावेदक द्वारा उपरोक्त भूमि को हडपने के उद्देश्य से भूमि का सीमांकन कराकर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। जबकि उपरोक्त भूमि के संबंध व्यवहार न्यायाधीश, लवकुशनगर के न्यायालय में व्यवहार वाद लंबित है, ऐसी स्थिति में सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3487-एक/2016 जिला छतरपुर **फूलवती विरूद्ध रूहेलप्रताप**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका फूलवती की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेंद्र चतुर्वेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल जुझारनगर जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 13-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21-12-18 (आर.के. जैन) सदस्य	